



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-06052026-272280
CG-AS-E-06052026-272280

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2050]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2026/वैशाख 9, 1948

No. 2050]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2026/VAISAKHA 9, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मालीगाँव, 28 अप्रैल, 2026

का.आ. 2123(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में प्राधिकृत करती है, ताकि वह उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकारी के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। यह प्राधिकरण, बिहार राज्य में "अलुआबाड़ी रोड - ठाकुरगंज के बीच दोहरीकरण" नामक विशेष रेलवे परियोजना के संबंध में, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित जिले के लिए, तथा ऐसे विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के सार्वजनिक उद्देश्य हेतु, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज	किशनगंज

[फा. सं. W/207/CON/NJP/LAND/AUB-TKG]

संजीव कुमार, मुख्य अभियंता/एनजेपी परियोजनाएं

MINISTRY OF RAILWAYS

[Northeast Frontier Railway(Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Maligaon, the 28th April, 2026

S.O. 2123(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989(24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project of “ **Doubling between Aluabari Road - Thakurganj**” in the State of Bihar relating to district mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, management and operation of such special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	District
(1)	(2)	(3)
1	District Land Acquisition Officer, Kishanganj	Kishanganj

[F. No. W/207/CON/NJP/LAND/AUB-TKG]

SANJEEV KUMAR, Chief Engineer/NJP Projects